कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 186/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 13.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 13.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना- कोतवाली, जनपद- आजमगढ़

➡️ ₹51.46 लाख के अनियमित वेतन भुगतान घोटाले में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार

➡️ अवैध नियुक्त 10 अध्यापकों को वेतन भुगतान प्रकरण में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

➡️ कुँवर सिंह उद्यान से आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा आर0के0 चौरसिया (उप निदेशक, समाज कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़) द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया था कि अवैध रूप से नियुक्त 10 अध्यापकों को वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से शिकायत की गयी थी। जिसके क्रम में जनपद स्तरीय अधिकारियों की गठित कमेटी द्वारा शिकायत की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अवैध रूप से नियुक्त 10 अध्यापकों को ₹51,46,780/- (रूपये इक्यावन लाख छियालिस हजार सात सौ अस्सी मात्र) का अनियमित भुगतान होना पाया गया।

जांच में दोषी पाये गये सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों 1- राजेश चौधरी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, आजमगढ़ तथा 2- सत्येन्द्र बहादुर सिंह, प्रधान सहायक, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध थाना कोतवाली पर दिनांक 09.05.2026 को मु0अ0सं0- 211/2026 धारा 61(2)/316(5) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 13.05.2026 को नि0अ0 रफी आलम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित आरोपी राजेश चौधरी उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र स्व0 रामनिहाल, मूल निवासी ग्राम महमदपुर हमजा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर, हाल पता जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ को कुँवर सिंह उद्यान से समय करीब 07:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजेश चौधरी पुत्र स्व0 रामनिहाल निवासी ग्राम महमदपुर हमजा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर, हाल पता जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0- 211/2026 धारा 61(2)/316(5) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, नि0अ0 रफी आलम, उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज, म0उ0नि0 प्रियंका तिवारी चौकी प्रभारी एलवल, हे0का0 अभय कुमार सिंह, का0 सुमित कुमार व का0 सत्येन्द्र पाठक थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

थाना- कप्तानगंज, जनपद- आजमगढ़

➡️ किशोरी से छेड़छाड़ व धमकी देने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

➡️ पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को कप्तानगंज पुलिस ने चेवता चौराहा से किया गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

थाना कप्तानगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 08.05.2026 को समय करीब 05:30 बजे बृजेश यादव पुत्र मुक्तिनाथ यादव उसका पीछा करते हुए बदतमीजी कर रहा था। विरोध करने पर आरोपी द्वारा हाथ पकड़कर खींचने, मोबाइल नम्बर मांगने, शादी करने का दबाव बनाने तथा मना करने पर धमकी देने का आरोप लगाया गया। पीड़िता द्वारा किसी प्रकार वहाँ से भागकर दुकान पर जाने के बावजूद आरोपी वहाँ भी पहुँच गया तथा अभद्र व्यवहार किया। बाद में पीड़िता के पिता की दुकान पर पहुँचकर आरोपी द्वारा गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 137/2026 धारा 75(2), 351(3), 352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अमन तिवारी को सुपुर्द की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 13.05.2026 को उ0नि0 अमन तिवारी मय हमराह का0 विपिन कुमार पाण्डेय द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र मुक्तिनाथ यादव निवासी ग्राम चेवता थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को चेवता चौराहा के पास से समय करीब 12:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बृजेश यादव पुत्र मुक्तिनाथ यादव निवासी ग्राम चेवता थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 137/2026 धारा 75(2), 351(3), 352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अमन तिवारी का0 विपिन कुमार पाण्डेय, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

थाना- सिधारी, जनपद- आजमगढ़

➡️ सिधारी पुलिस को बड़ी सफलता, चोरी की 02 ई-रिक्शा बरामद कर 03 अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ ई-रिक्शा चोर गिरोह का खुलासा, मनिकाडीह व काशीराम आवास से हुई चोरी की घटनाओं का अनावरण

थाना सिधारी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.05.2026 को चोरी की 02 अदद ई-रिक्शा क्रमशः वाहन संख्या UP50FT2420 व वाहन संख्या UP50CT8336 बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 181/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 182/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सिधारी पर पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण– दिनांक 12.05.2026 को वादी विजय यादव पुत्र स्व0 रामभवन यादव निवासी ग्राम मनिकाडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ तथा वादिनी शकुन्तला विश्वकर्मा पत्नी अशोक निवासी ब्लाक नं0 31 काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा ई-रिक्शा चोरी होने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना एवं सुरागरसी के क्रम में थाना सिधारी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1. प्रेम कुमार पुत्र देवी प्रसाद निवासी बिहारी पुरवा थाना सुजौली जनपद बहराईच, 2. अरमान उर्फ मुअल पुत्र रहमान निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ तथा 3. मनीष सेठ पुत्र विनोद सेठ निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 02 अदद ई-रिक्शा बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे लोग मिलकर ई-रिक्शा चोरी करने का कार्य करते हैं। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 10.05.2026 को मनिकाडीह तथा दिनांक 11.05.2026 को काशीराम आवास क्षेत्र से ई-रिक्शा चोरी करना स्वीकार किया गया।

बरामदगी का विवरण–

1. 02 अदद ई-रिक्शा
    - वाहन संख्या UP50FT2420
    - वाहन संख्या UP50CT8336

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. प्रेम कुमार पुत्र देवी प्रसाद निवासी बिहारी पुरवा थाना सुजौली जनपद बहराईच उम्र करीब 28 वर्ष।
2. अरमान उर्फ मुअल पुत्र रहमान निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।
3. मनीष सेठ पुत्र विनोद सेठ निवासी काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 181/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 182/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 रंजन कुमार साव, चौकी प्रभारी इटौरा थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 सभाजीत थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. का0 मृत्युंजय कुमार मिश्रा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. रि0आ0 अनुज पाल थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ।

थाना- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़

➡ जमीनी विवाद में मारपीट व जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ फूलपुर पुलिस ने आरोपी को उसके घर के बाहर से किया गिरफ्तार, न्यायालय भेजा गया

पूर्व की घटना–

दिनांक 12.05.2026 को वादिनी लालमती पत्नी राजेन्द्र चौहान निवासी रामपुर खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि जमीनी विवाद को लेकर उनके पड़ोसी दुर्गेश पुत्र बिन्देश्वरी द्वारा गाली-गलौज करते हुए उन्हें एवं उनके पति को मारपीट कर घायल कर दिया गया। मारपीट के दौरान उनके पति के सिर में गंभीर चोट आयी तथा वादिनी को भी आंतरिक चोटें आयीं। आसपास के लोगों द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 167/2026 धारा 109/115(2)/351(3)/352 बीएनएस बनाम दुर्गेश पुत्र बिन्देश्वरी निवासी रामपुर खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 राजेन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दुर्गेश पुत्र बिन्देश्वरी निवासी रामपुर खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर के बाहर ग्राम रामपुर खुर्द से दिनांक 13.05.2026 को समय करीब 01:34 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. दुर्गेश पुत्र बिन्देश्वरी निवासी रामपुर खुर्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 167/2026 धारा 109/115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार का0 नीरज कुमार यादव का0 अनिल कुशवाहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।